बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री नवीन कुमार, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–214 दिनांक–04.03.2022 द्वारा 2,17,34,766 / – (दो करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार सात सौ छियासठ) रूपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या–04 / 2022 दिनांक–03.03.2022 भ्र0नि0अधि0, 1988 की धारा–13(1)(b)–सह–पठित धारा–13(2)–सह–पठित धारा–12 एवं भा0द0वि0 की धारा–120B दर्ज किये जाने संबंधित उपलब्ध करायी गयी सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1745 दिनांक–12.04.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया। इस क्रम में उक्त आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–811 दिनांक–27.06.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3249 दिनांक–22.07.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक (खाद्य), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–43 दिनांक–12.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–5511 दिनांक–20.12.2023 द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) के तहत पुनः आगे जाँच करने एवं स्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपलब्ध कराने हेतु संचालन पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन मूल रूप में वापस किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक–31.12.2023 को श्री कुमार की वार्धक्य सेवानिवृति के मद्देनजर विभागीय आदेश ज्ञापांक–46 दिनांक–02.01.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 में निहित प्रावधानों के तहत उनकी सेवानिवृति की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही, विभागीय आदेश ज्ञापांक–283 दिनांक–12.01.2024 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत स्वतः समपरिवर्तित मानी जायेगी, संबंधित आदेश निर्गत किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–24 दिनांक–02.07.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य के रूप में अंकित किया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आलोक में दर्ज प्राथमिकी के आसूचना प्रतिवेदन में श्री कुमार के किचेन एवं अन्य खर्च में मो0–1,53,72,146.00 रूपये एवं अर्जित सम्पत्ति का मूल्य मो0–2,46,87,996.00 रूपये अंकित किया गया है, जिसका कुल योग मो0–4,00,60,142.00 रूपये होता है, जबकि श्री कुमार द्वारा उनके स्वयं एवं उनकी पत्नी को चेक अवधि में क्रमशः मो0–2,62,58,517.00 रूपये एवं 2,45,58,898.00 रूपया अर्थात् कुल–आय मो0–5,08,17,415.00 रूपये होने का साक्ष्य आधारित तथ्य प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदित आरोपों में श्री कुमार को चेक अवधि में मो0–1,83,25,376.00 रूपये आय प्राप्त होना दर्शाया गया है, परन्तु इसकी विवरणी नहीं दी गई है कि श्री कुमार को अथवा उनके परिवार को किन–किन स्त्रोतों से मो0–1,83,25,376.00 रूपये प्राप्त हुआ है, जबकि श्री कुमार का कथन है कि उन्हें एवं उनके परिवार को विभिन्न स्त्रोतों से चेक अवधि में मो0–5,08,17,415.00 रूपये का आय प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में श्री कुमार को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को आधार मानकर उनके एवं उनके परिवार के सभी मदों के द्वारा किए गए व्यय राशि मो0–4,00,60,142.00 रूपये को घटाने के उपरान्त उनका आय उनके द्वारा व्यय किए गए खर्च से अधिक हो जाता है। श्री कुमार को चेक अवधि में प्राप्त कुल आय मो0–5,08,17,415.00 रूपये के स्त्रोतों एवं उसकी वैधता / प्रमाणिकता आदि की जाँच वर्त्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है। तद्लोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य में अंकित तथ्यों के आलोक में विभागीय पत्रांक–160755 दिनांक–25.09.2024 द्वारा विशेष निगरानी इकाई का मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया। स्मारोंपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के अ0स0 पत्र संख्या–841 दिनांक–23.12.2024 के माध्यम से मंतव्य उपलब्ध कराते हुए अंकित किया है कि श्री कुमार के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–04 / 2022 दिनांक–

03.03.2022 आय से अधिक सम्पत्ति 2,17,34,766 / – रूपये कुल–118 प्रतिशत के लिए दर्ज की गई थी। श्री कुमार एवं उनकी पत्नी के नाम से बेगुसराय शहर में कुल तीन आलिशान भवन निर्मित है। तीनों भवनों का कुल लागत–1,39,94,176 / – रू0 पाया गया है। श्री कुमार एवं इनके परिवार के नाम से कुल 10 अचल सम्पत्ति है, जो करोड़ों रूपये का है। श्री कुमार एवं उनके परिवार के नाम से कुल–14 इन्स्योरेंस पॉलिसी में 44,86,615 / – रू0 जमा किया है। बच्चों की पढ़ाई में ही सिर्फ 15,99,150 / – रू0 खर्च किये हैं। श्री कुमार एवं इनके परिवार के नाम से कुल–18 बैंक खाता हैं, जिनमें लाखों रूपये का निवेश है, जिनका आकलन किया जा रहा है। घर के अंदर का साजो–सामान ही केवल 14,56,370 / – रू0 पाया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रतिवेदन / मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–189360 दिनांक–09.01.2025 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा / लिखित बचाव बयान समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। स्मारोंपरान्त दिनांक–29.01.2025 को श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / लिखित बचाव बयान विभाग को समर्पित किया गया। श्री कुमार ने अपने लिखित बचाव बयान में अंकित किया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / मंतव्य पर आरोप लगाने वाले अभिकरण / प्राधिकार से मंतव्य प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है और यह न्यायोचित भी नहीं है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के मंतव्य पर आरोप लगाने वाले विशेष निगरानी इकाई से मंतव्य माँगा जाना निहित प्रावधान के प्रतिकूल है। विशेष निगरानी इकाई द्वारा समर्पित मंतव्य के आलोक में उल्लेखनीय है कि उसमें मेरे परिवार के तीन भवनों का कुल लागत मो0–1,39,94,176 / – रूपये पाये जाने की बात कही गयी है, परन्तु भवनवार लागत नहीं दर्शाया गया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त भवनों का लागत मूल्य किस आधार पर गणना किया गया और उक्त गणना में कौन से नियम / तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कुल–14 इन्स्योरेंस पॉलिसी में मो0–44,86,615 / – रूपये जमा किये जाने की बात लिखी गयी है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन 14 पॉलिसियों में कितनी की परिपक्वता हो चुकी है और कितने शेष है, इसकी कोई विवरणी संलग्न नहीं है और न ही पत्र में उल्लेखित है। बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ मो0–15,99,150 / – रूपये खर्च किये जाने की बातें अंकित है, परन्तु कोई विवरणी संलग्न नहीं है। 18 बैंक खातों का उल्लेख किया गया, परन्तु इसमें कितने निष्क्रिय है और कितने सक्रिय, इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसमें कितने रूपये निवेशित है। इसका कोई आँकड़ा नहीं दिया गया है। यह स्वतः स्पष्ट होता है कि वे अपनी की गयी त्रुटिपूर्ण / गलत कार्रवाई को छुपाने के लिए ही ऐसा प्रतिवेदन समर्पित कर रहे हैं। मेरे तथा मेरे परिवार के दर्शायी खर्च मो0–1,39,94,176 + मो0–44,86,615 + मो0–15,99,150 + मो0–14,56,370 / – रूपये जिसका कुल योग्य मो0–2,15,36,311 / – रूपये मात्र ही होता है, जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा मेरे तथा मेरे परिवार को सभी वैद्य स्त्रोतों से प्राप्त आय की गंभीर समीक्षा एवं उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यों के उपरान्त कुल आय मो0–5,08,17,415 / – रूपये पाया गया है, जिस पर विशेष निगरानी इकाई द्वारा कुछ भी टिप्पणी नहीं की गयी है, जो इस बात को परिलक्षित करता है कि मेरे तथा मेरे परिवार को चेक अवधि में प्राप्त कुल आय मो0–5,08,17,415 / – रूपये उनको भी स्वीकार है। स्पष्ट है कि प्राप्त कुल आय मो0–5,08,17,415 / – रूपये की तुलना में विशेष निगरानी इकाई के उक्त पत्र में अंकित खर्च का कुल योग मात्र मो0–2,15,36,311 / – रूपये ही है, अतएव मेरे विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला बनता ही नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन, निगरानी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन, श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / लिखित बचाव बयान तथा उपलब्ध अभिलेखों / साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विशेष निगरानी इकाई द्वारा श्री कुमार की आकलित सम्पत्ति 2,46,87,996 / – रूपये की गई है, जबकि विवेचित अवधि में इनका बचत 29,53,230 / – रूपये है। इस प्रकार निगरानी विभाग के अनुसार इनकी प्रत्यानुपातिक धनार्जन 2,17,34,766 / – रूपये है। श्री कुमार ने उक्त का खंडन करते हुए विविध स्त्रोंतो यथा–बैंक लोन, माता का पेंशन, कृषि, ब्याज, प्राईवेट जॉब एवं ट्यूशन आदि से स्वयं का आय 2,62,58,517 / – रूपये तथा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, मकान किराया, जमीन बिक्री, कृषि, ब्याज / ऋण आदि से स्वयं की पत्नी का आय 2,45,58,898 / – रूपये दर्शाया है। सम्पत्ति के ब्यौरा संबंधित दस्तावेजों में श्री कुमार द्वारा कृषि से आय तथा माता का पेंशन की राशि को नहीं दर्शाये जाने संबंधित तथ्य का खंडन

करते हुए श्री कुमार द्वारा क्रमशः यह अंकित किया गया है कि सम्पत्ति उद्घोषणा ब्यौरा में कृषि से आय का कॉलम नहीं रहने तथा माता के आश्रित नहीं होने के कारण इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि यदि श्री कुमार की माता इन पर आश्रित नहीं है तो किस परिस्थिति में उनकी आय को श्री कुमार द्वारा अपने कुल आय में जोड़ा गया है, दूसरी ओर श्री कुमार ने अपनी आय में जॉब से पहले की आय को सम्मिलित किया है, परन्तु इस निमित कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया है। श्री कुमार ने यह भी अंकित किया है कि वर्ष 2001 के पूर्व उनकी पत्नी की आय, आयकर सीमा से कम था, जिसके कारण उनका आयकर रिटर्न नहीं भरा गया, जबकि श्री कुमार द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि उनकी पत्नी द्वारा कतिपय व्यक्तियों को किराये पर स्थल / दुकान उपलब्ध कराया गया है, जिसका मासिक किराया उनके द्वारा समर्पित आयकर रिटर्न में कमत्तर दर्शाया गया है। यादृच्छिक रूप से चेक अवधि वर्ष 2004 का कुल मासिक किराया 2,53,200 / – रूपये होता है, जो तत्समय प्रचलित आयकर बचत सीमा से अधिक है, परन्तु Assessment Year 2003-04 में श्री कुमार की पत्नी के ITR में कुल आय का वर्णन मात्र 80,900 / – रूपये दर्शाया गया है। उक्त के अतिरिक्त श्री कुमार ने अन्य व्यवसाय से हुई आय से संबंधित आँकड़ों से सरकार को सूचित किये जाने के निमित न तो कोई ठोस साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और न ही स्वयं के HUF (Hindu Undivided Family) होने से इत्तर संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के परिशीलन एवं साक्ष्यों के विवेचना से स्पष्ट है कि श्री कुमार के द्वारा अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग कर ज्ञात वैद्य आय के स्त्रोत से अत्यधिक चल / अचल सम्पत्ति नाजायज तरीके से अर्जित की गई है, जो लोक सेवक के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है। फलतः श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण / लिखित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री नवीन कुमार, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अवैध रूप से आय से अधिक चल / अचल सम्पत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर कदाचार का आरोप प्रमाणित पाये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत वृहद् दण्ड स्वरूप उनकी शत–प्रतिशत (100%) पेंशन जब्त करने का दण्ड विनिश्चित किया गया है ।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नवीन कुमार, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत वृहद् दण्ड स्वरूप श्री कुमार की शत–प्रतिशत (100%) पेंशन जब्त करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

श्री कुमार को निलंबन अवधि का अनुमान्य निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–07 / 2022– 705 /खाद्य, पटना / दिनांक– 20/05/2025

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर / अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर, समस्तीपुर / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी–03 / आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नवीन कुमार (से0नि0 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी) आवासीय पता–मो0–विश्वनाथ नगर, पार्क रोड बेगूसराय, पो0–बेगूसराय, थाना–बेगूसराय शहर, जिला–बेगूसराय, पिन–851101, मोबाईल सं0–9931051821 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।